

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/संयु.संचा.वित्त/2018-19/ 427

भोपाल,दिनांक 6-11-2018


आदेश

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के लिए प्रभावशील अतिथि शिक्षक व्यवस्था अंतर्गत अतिथियों शिक्षकों के मानदेय की दरों की स्वीकृति बावत् जारी आदेश क्रमांक-44-13/2018/20-2 दिनांक 03.10.2018 की कंडिका क्रमांक-4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

“अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर होने वाला व्यय लेखा शीर्ष 40-2202-02-0109-0101-0701-44-001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक,वित्त
लोक शिक्षण संचालनालय

पृष्ठां.क्रमांक/संयु.संचा.वित्त/2018-19/ 428
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 6-11-18

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री के विशेष सहायक।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. सचिव,माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र.भोपाल।
6. संचालक,राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खंड शिक्षा अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश